

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक 3/1051 /

जबलपुर, दिनांक 18/02/20

II-14-20/2000

श्रीमती मधु सोनी, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर के अर्जित अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र दिनांक 12.07.2019 एवं 16.09.2019 को निरस्त किया जाता है एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति दिनांक 18.07.2019 से 12.09.2019 तक 57 दिन को अकार्य दिवस (Dies-non) स्वीकृत किया गया है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति
महोदय के आदेशानुसार

सही / -

(राजेन्द्र कुमार वाणी)

रजिस्ट्रार जनरल

A

पृष्ठांकन क्रमांक B/1082 /

जबलपुर, दिनांक 18/02/20

II-14-20/2000

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-इंदौर की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक/अवकाश/1994/इंदौर, दिनांक 31.10.2019 एवं Memo No. Admin/347-A/180 Indore, Dated 27/01/2020 के संदर्भ में श्रीमती मधु सोनी, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट का आवेदन पत्र दिनांक 04.10.2019, 12.07.2019, 16.09.2019 एवं 13.01.2020 मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।

सलग्न : उपरोक्तानुसार।

- ✓ 2. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(प्रियदर्शन शर्मा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)
A

